(TO BE PUBLISHED IN PART –IV OF THE DELHI GAZETTE EATRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(2)/LA-2014/Cons2Law/28-36 Dated 21/the March, 2014

NOTIFICATION

NO. F.14(2)/LA-2014/ -. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 19th March, 2014 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2014
(DELHI ACT 01 OF 2014)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 14th Febrauray March, 2014)

[19th March, 2014]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2013-14

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2014.

issue of

Rs. 372,00,00,000/-

from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees three hundred seventy two crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2013-2014 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

DEMAND NO	SERVICES AND PURPOSES	Sums Not Exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
11	Urban Development and Public Works Revenue	3720000	..	3720000
	Total	**3720000**	..	**3720000**

(A. S. Yadav)
Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवाँ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं0 फा0 14(2)/एलए–2014/Cm 2/o W/28-36 दिनांक 21/मार्च, 2014

अधिसूचना

सं0 फा0 14(2)/एलए–2014/ .– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 19 मार्च, 2014 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2014
(2014 का दिल्ली अधिनियम 01)

(14 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[19 मार्च, 20

वर्ष 2013–14 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2014 है।

372,00,00,000/– रुपयों का वर्ष 2013–2014 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन सौ बहात्तर करोड़ रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2013–2014 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन ।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

			राशी इससे अधिक नहीं		
मांग संख्या	सेवायें एवं उददेश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड
1	2		3	4	5
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	3720000	..	3720000
	जोड		3720000	..	3720000

आनन्द सिंह यादव

(ए.एस.यादव)

प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)